हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	सीताराम vs ओमप्रकाश वगै० T 9	
5/7/21	वकील फरीकेन उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 21.7.21 को पेश है।	
21/7/21	वकील फरीकेन उप०/SDO साहब ~~अवकाश~~/ दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 10/8/21 को पेश हों।	
10/8/21	वकील फरीकेन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 31/8/21 को पेश हो।	
31/8/21	वकील फरीकेन उप० SDO साहब दौरे पर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते निर्णय दिनांक 6/9/21 को पेश हो।	
6/9/21	पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल हुआ होकर नकल ... तथा शामिल दाखिल रहे।	

Scanned with DocScan

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
06/18	अस्थायी निषेधाज्ञा	12.02.18	06.09.2021

सीताराम पुत्र रूपनारायण आयु 52 साल जाति महाजन निवासी किशोरपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली हालवासी टोंक रोड़ खैरदा राज रेडियो वालों की गली सवाई माधोपुर राजस्थानल।

–प्रार्थी

बनाम

01. ओमप्रकाश पुत्र बलीलाल निवासी किशोरपुरा तहसील सपोटरा हाल निवासी राज मेडीकल के पास, खेतली हाउस रोड़ सरोज सिनेमा चांदपोल, जयपुर।
02. हनुप्रसाद पुत्र बलीलाल निवासी किशोरपुरा तहसील सपोटरा हाल निवासी शिव मंदिर के पास बजरिया सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
03. गोपाल पुत्र बलीलाल निवासी किशोरपुरा तहसील सपोटरा हाल निवासी धमूण रोड़ खैरदा सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
04. बाबूलाल पुत्र बलीलाल निवासी किशोरपुरा तहसील सपोटरा हाल निवासी हनुमान मिल्स इण्डस्ट्रियल ऐरिया खैरदा सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
05. लोहोड़ीसी पत्नि रामकिशन जाति मीना निवासी झाड़ौदा की झौंपड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
06. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 138 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम किशोरपुरा तह0 सपोटरा मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर फसल काश्त कर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। दिनांक 23.01.2018 को प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर खड़ी फसल की देखभाल कर रहा था कि अप्रार्थीगण मौके पर आ गये और प्रार्थी के हिस्से की भूमि से बेदखल करने तथा अवैध रूप से प्रार्थी के हिस्से की भूमि को हड़पने की ऐलारिया धमकी देने लग गये। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी समझाया और कहा कि अपने सहखाते की उक्त भूमि का तहसील कार्यालय चलकर विधिवत बंटवारा करा ले लेकिन सभी अप्रार्थीगण प्रार्थी से मौके पर ही आमादा फिसाद होने पर उतारू हो गये। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 5 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित न्यायालय नहीं आये इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी सं0 6 ने प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होने के कारण कोई जवाब पेश नहीं किया।

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला-करौली

Scanned with DocScan

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2073–76 ग्राम किशोरपुरा तहसील सपोटरा विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण ने इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों प्रार्थी के पक्ष मे साबित है, अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम किशोरपुरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 138 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा में प्रार्थी के कब्जे काश्त मे प्रार्थी को फसल काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with DocScan